

C.No. 27/2023 मनीष/साल द्वारा प्रस्ता.

अग्रणी प्रावली के ही वकील यानी अनुपमिता
वकील जमीन के अंतर्गत 6:10 एकेर तक अंशदान
कर तीन बार आवक लगवा गई किंतु वी अनु
देख अंतः प्राणी का प्रथमा ही प्रावली
अभिप्रेत किया उ के तहत अंतर्गत 6:10 अंश
प्रावली के खासियत किया जाता है प्रावली
के अंतर्गत अनु होकर नमूने का ही प्रावली
प्रावली दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी
अंश (अजमेर)

